राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
(खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय,जयपुर–302005)

क्रमांकःप.5(5)आ.प्र./ना.सु/2016/ 983-1055 जयपुर, दिनांकः 12 JUL 2017

:: अधिसूचना ::

मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार के बजट भाषण वर्ष 2017–18 के बिन्दु सं. 303 द्वारा राज्य के समस्त जिलो को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किये जाने के फलस्वरूप नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–27) की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा सम्पूर्ण जिला क्षेत्र के लिये "नागरिक सुरक्षा कोर" का गठन करती है तथा सम्बंधित जिले के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को अपनी सम्बंधित अधिकारिता में उक्त कोर को समादेश देने के लिए नियंत्रक नियुक्त करते हुए राज्य के समस्त निम्नलिखित जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	जिला के नाम	क्र.सं.	जिला के नाम
1.	अजमेर	18	जैसलमेर
2.	अलवर	19	जोधपुर
3.	बांरा	20	जालौर
4	बाडमेर	21	झुन्झुनू
5	बांसवाडा	22	झालावाड
6	बीकानेर	23	कोटा
7	बून्दी	24	करौली
8	भरतपुर	25	नागौर
9	भीलवाडा	26	पाली
10	चित्तौडगढ	27	राजसमन्द
11	चूरू	28	सिरोही
12	डूँगरपुर	29	सीकर
13	दौसा	30	सवाई माधोपुर
14	धौलपुर	31	टोंक
15	श्रीगंगानगर	32	उदयपुर
16	हनुमानगढ	33	प्रतापगढ
17	जयपुर		

उक्त अधिसूचना द्वारा पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए समस्त नागरिक सुरक्षा नगर/टाउन में कार्यरत कार्मिकों मय स्वयं सेवक एवं उपलब्ध संसाधनों का विलय सम्बंधित जिला नागरिक सुरक्षा कार्यालय में किया जाता हैं।

यह अधिसूचना मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.डी.सं. F17002004 दिनांक 06.07.2017 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की गयी हैं।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर) 10/7/17
(डॉ.अनिल पालीवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार,ईस्ट ब्लॉक–7, लेवल–7 आर. के.पुरम, नई दिल्ली।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर।
4. निदेशक, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. शासन संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–8) विभाग,राज, जयपुर।
6. समस्त नियंत्रक (जिला कलक्टर), नागरिक सुरक्षा, राजस्थान।
7. समस्त उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान।
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा 20 प्रतियां निदेशालय, नागरिक सुरक्षा विभाग को भिजवाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner